न्यायालय प्रभारी सत्र न्यायाधीश, मेरठ।
उपस्थित :– राकेश कुमार–पंचम (एच०जे०एस०)
JO Code NO- UP-6155
CNR N0-UPME010090032026
कंप्यूटर पंजीकरण सं०–3152/2026
प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–2548/2026

अक्षय गुप्ता पुत्र स्व0 श्री मित्रसेन गुप्ता .....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य .....अभियोजन ।

मु०अ०सं० 12 सन् 2025
धारा –420,467,468,471,255,120बी० भा0द0सं0
थाना – सिविल लाईन्स , जिला मेरठ

22.06.2026

1– पुलिस थाना सिविल लाईन्स जिला मेरठ पर मु०अ०सं० 12 सन् 2025, अंतर्गत धारा 420,467,468,471,255,120बी० भा0द0सं0 में वांछित अभियुक्त अक्षय गुप्ता पुत्र स्व0 श्री मित्रसेन गुप्ता निवासी मकान सं. 31, लक्ष्मी नगर, सूरजकुण्ड रोड, थाना सिविल लाईन्स जिला मेरठ की ओर से प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है कि यह प्रार्थी अभियुक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र हैं तथा अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है।

3– अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी धर्मेन्द्र यादव के द्वारा न्यायालय में प्रार्थना अर्न्तगत धारा 173(4)बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि प्रार्थी को एक आवासीय प्लाट खरीदने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी द्वारा संजीव कुमार गुप्ता, व अतुल कुमार गुप्ता से संपर्क किया तथा प्लाट नं.–02 क्षेत्रफल 103 वर्ग गज स्थित वेदकुंज फेस–2 राजस्व ग्राम मलियाना परगना तहसील व जला मेरठ क ब्याना इन लोगों को दिया तथा जब प्रार्थी द्वारा उक्त प्लाट का बैनामा अपने अधिवक्ता से कराने के लिये कहा तो ये लोग नाराज हो गये और प्रार्थी पर दबाव बनाया कि प्रार्थी कोउक्त प्लाट की रजिस्ट्री/बैनामा इनके अधिवक्ता विशाल वर्मा से ही करानी पडेगी। प्रार्थी मजबूरीवश विशाल वर्मा अधिवकता के पास आया तथा विशाल वर्मा ने स्टाम्प खरीदने के लिए अंकन 46600/–रूपये व रजिस्ट्रीकरण शुल्क के अंकन 6710/– तथा 10,000/– का भागैर न्यायिक भौतिक स्टाम्प संख्या ए 185105 व भागैर न्यायिक ई. स्टाम्प संख्या यूपी 78972341687656 यू अंकन 21600/– रूपये का लेकर आये तथा प्रार्थी का उक्त बैनामा कराया । जब उप निबन्धक सदर तृतीय कार्यालय द्वारा दिये गये स्टाम्पों की जांच की गयी तो भागैर न्यायिक भौतिक स्टाम्प सं0 ए 185105 अंकन 25000/– का कहीं से भी जारी होना नहीं पाया गया । प्रार्थी को पता चला कि इन तीनों संजीव कुमार गुप्ता, अतुल कुमार गुप्ता व विशाल वर्मा एडवोकेट के द्वारा आपस में साज कर आपराधिक षडयंत्र कर छल करने की नियत से प्रार्थी के उक्त बैनामे पंजीकृत विलेख संख्या 14835/2022 में अंकन 25000/– रूपये का कूटरचित फर्जी भागैर न्यायिक भौतिक स्टाम्प का प्रयोग किया गया है।

4– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे झूठा फंसाया गया है। वादी धर्मेन्द्र यादव के द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के आधार पर दिनांक 9.1.2025 को दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के लगभग 8 माह बाद

दर्ज करायी गयी है। जिसमें देरी का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल तीन आरोपियों संजीव गुप्ता, अतुल गुप्ता , विशाल वर्मा के नाम है प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में शामिल नहीं है। वादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने स्टांप पेपर, पंजीयन शुल्क तथा विशाल वर्मा की फीस केवल विशाल वर्मा को ही दी थी, प्रार्थी/अभियुक्त का कथित अपराध से कोई संबन्ध नहीं है। विवेचक द्वारा केवल विशाल वर्मा के विरूद्ध दिनांक 14.7.2025 को आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है जिसमें अन्य आरोपियों या फरार आरोपियों के संबन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य 6 मामले दर्ज हैं जिनमें वह माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से जमानत पर है। प्रार्थी/अभियुक्त के गेट के पास दीवार पर दिनांक 8.6.2025 को पुलिस द्वारा मु.अ.सं. 12/25 धारा 84 बी एन एस एस (फरार व्यक्ति की उद्घोषणा) का चिपकाया गया । प्रार्थी कभी फरार नहीं हुआ हे न ही स्वयं को छिपाया । प्रार्थी/अभियुक्त न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है और न ही उसका आरोपी के साथ कोई लेनदेन था। उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के लगभग 17 माह बाद मामले में जोडा गया है। अभियुक्त को अवैध गिरफ्तारी का भय है, जबकि वह जॉच में पूर्ण सहयोग हेतु तैयार है। उसके विरूद्ध पूर्व में जो आपराधिक मामले दर्ज हैं वह उन सभी में जमानत पर है। नामित अभियुक्त विशाल वर्मा को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वार दिनांक 15.4.2026 को जमानत प्रदान की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तारी का भय है तथा वह न्यायालय की शर्तों का पालन करने और जॉच में सहयोग करने हेतु तैयार है।

5— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये उनके द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

6— प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व पुलिस अभिलेखों का परिशीलन किया गया।

7— उल्लेखनीय है कि इस मामले में वादी धर्मेन्द्र यादव के द्वारा संजीव कुमार गुप्ता, अतुल कुमार गुप्ता व विशाल वर्मा को नामजद करते हुए एफ. आई. आर. दर्ज करायी गयी जिसमें इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि उसके द्वारा पंजीकृत कराये गये बैनामा विलेख संख्या 14835/2022 में अंकन 25000/— रूपये का कूटरचित फर्जी भागैर न्यायिक भौतिक स्टाम्प का प्रयोग किया गया है। जिसमें अभियुक्त विशाल वर्मा के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है जिस पर संज्ञान लिया जा चुका है। विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा संख्या 12 पर अभियुत विशाल वर्मा का बयान अंकित किया गया है जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि मेरी जान पहचान अक्षय गुप्ता मो0नं0 9358422088, 9756458777 से थी। अक्षय गुप्ता स्टाम्प वैंडर का कार्य करता है जिसकी वाची एशोसिएट्स के नाम से मेरठ कॉलेज काम्पलेक्स लालकुर्ती, मेरठ में शाप नं.01 में दुकान है। मैंने व अक्षय गुप्ता ने मिलकर एक योजना बनाई थी कि डीड के समय जो भौतिक स्टाम्प प्रयोग मे लाये जाते हैं तथा जा पूर्व में प्रयोग हो चुके हैं क्यों न इन स्टाम्पों पर लिखे हुए डीड के विषय वस्तु को कैमिकल से मिटाकर दुबारा रजिस्ट्री में प्रयोग में लिया जाये। इससे हमें ट्रेजरी में पैसा भी जमा करना नहीं पडेगा और इसका लाभ हम दोनों को मिल जायेगा। अग्रेतर यह भी बताया कि इन कालोनियों के समस्त बैनामों की डीड जैसे प्लाट, फ्लैट, मकान, दुकान आदि की डीड अतुज गुप्ता मेरे द्वारा ही तैयार करवाता था लेकिन उसके स्टाम्प वह अक्षय गुप्ता के माध्यम से स्वयं उपलब्ध कराता था इस मुकदमे में धर्मेन्द्र की जो रजिस्ट्री हुई थी वह रजिस्ट्री भी मैंने ही तैयार की थी लेकिन उसके स्टाम्प अतुल गुप्ता ने अक्षय गुप्ता के माध्यम से उपलब्ध कराये थे , जो योजना मैंने व अक्षय गुप्ता ने मिलकर बनाई थी उसी के तहत पुराने स्टाम्पों को अक्षय गुप्ता अपनी दुकान पर अपने यहां काम करने वाले यश सिंह से कैमिकल के माध्यम से लिखे हुए को साफ कराकर मुझे दिया करता था । केस डायरी के साथ निदेशक/संयुक्त निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक

FSL(UP)5156/FA/28/25 संलग्न है जिसमें उपरोक्त मामले से संबंधित अक्षय गुप्ता व विशाल वर्मा की नमूना आवाज की रिकॉडिंग प्रयोगशाला के फॉरेंसिक एकॉस्टिक अनुभाग में प्राप्त ट्रांसक्रिप्शन के अनुसार नियमानुसार सम्पन्न करायी गयी जिसके विवरण में प्रथम ऑडियो..... ''पहला व्यक्ति..... अच्छा.....अच्छा.....दूसरा व्यक्ति.....वहां से तो आ गया है मैं। पहला व्यक्ति..... कई सारे एडवोकेट हैं ऐसी कोई बात नहीं है क्या बात हुई बात बताओ, दूसरा व्यक्ति.....अब मैं ये कह रहा हूॅ कि वे यह कह रहे कि एसआईटी की बात हो रही है और एफ आई आर की बात हो रही है वो सब बात नहीं होने की, पहला व्यक्ति.....हूॅ, दूसरा व्यक्ति..... और जितना मैक्सिमम होगा जमा करा देंगे। पहला व्यक्ति.....ठीक है ठीक है, दूसरा व्यक्ति..... और एसआईटी की टीम गठित हो गयी तो साहब भी रहेंगे । और अभी इसने लिखा पच्चीस, मैंने कहा कि पच्चीस तो बहुत ज्यादा है, पहले तो बीस का बात हो रही थी, भाई साहब ये मान लो पच्चीस ही है । पहला व्यक्ति..... अच्छा, दूसरा व्यक्ति..... तो मैंने कहा भाई कि चलो देख्ता हूॅ कि कहने लगा कि बता देना मुझे कल तक, पहला व्यक्ति.....अच्छा अच्छा। दूसरा व्यक्ति..... और कहने लगा कि बीस मेरे तो बीस इसके तो मैंने कहा चल तु तो ले लियो मैंने कह उनस कम करा तो कह रहा भई बात कर लेना बीस पर्सेन्ट बता रहा था, पहला व्यक्ति.....अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरा व्यक्ति..... कल की बात करी मैंने इससे कल मिलते हैं आपसे, पहला व्यक्ति..... मैं ज्यादा से ज्यादा तीन कर पाऊंगा, दूसरा व्यक्ति..... अरे तीन में कैसे होगा, अक्षय भाई समझो ना तीन में तो होने का नहीं हैसे होगा, पहला व्यक्ति..... भईया मैं भी अटका हुआ हूॅ, इतना तो एक दम मैं भी नहीं कर पाऊंगा, जो आपको पता कि कोई ऐसा तो नहीं है, हिसाब किताब और मैं ज्यादा से ज्यादा करता हूं जैसा भी होता है, दूसरा व्यक्ति.....इनको बारह के करीब करा दो बाकी मैं करा दूंगा, पहला व्यक्ति..... बारह.. प्रभु आप तो कह रहे थे मैं खा कर मर जाउंगा, दूसरा व्यक्ति..... मैं भी खाकर मर जाऊंगा या तो यही करे दोनों, फिर दोनों हसते हैं, पहला व्यक्ति..... कि जितनी मेरी औकाद है मैं जरूर करूंगा, ऐसा नहीं है,दूसरा व्यक्ति..... अक्षय भाई मेरी भी औकाद नहीं है इतनी ये तो समझो बस यो तो क्या मतलब जहर खाने की स्थिति है।'' यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक के प्रार्थनापत्र के आधार पर विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा दिनांक 26.5.2026 को अन्य अभियुक्त राहुल वर्मा के साथ साथ प्रार्थी/अभियुक्त अक्षय गुप्ता के विरूद्ध धारा 84(2) बी0एन0एस0एस0 के अर्न्तगत उद्घोषणा जारी की गयी है। अभियोजन/विवेचक की आख्या के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य प्रकरण भी विचाराधीन हैं । अग्रिम जमानत मिलने के बाद न्यायालय में एवं पुलिस के समक्ष पेश न होने होने की संभावना दर्शित की गयी है तथा यह भी कथन किया है कि उद्घोषणा जारी होने के बाद भी अभियुक्त फरार चल रहा है। उल्लेखनीय है कि थाने की आख्या के अनुसार प्रश्नगत अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा उसके साक्ष्यों को प्रभावित करने, गवाहों को धमकाने व फरार होने की सम्भावना दर्शायी गयी है तथा उसके विरूद्ध आपराधिक इतिहास भी दर्शाया गया है। सह अभियुक्त विशाल वर्मा की नियमित जमानत समकक्ष न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 18.6.2025 को निरस्त की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर कूटरचित फर्जी भा.गैर न्यायिक भौतिक स्टाम्प का प्रयोग किया गया है जो एक गंभीर अपराध है। उसके द्वारा किये गये उक्त कृत्य से भारत सरकार को आर्थिक क्षति एवं अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। केस डायरी व अन्य पुलिस प्रपत्रों से अभियुक्त की संलिप्तता अन्य सह अभियुक्तगण के साथ उक्त अपराध में परिलक्षित होती है।

धारा 438 द.प्र.सं./482 बी.एन.एस.एस. में यह उल्लेख किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते समय निम्न बातों पर विचार किया जायेगा।

1. अभियोग की प्रकति और गम्भीरता।

2. आवेदक का पूर्ववृत, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के

सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले से कारावास भुगत चुका है।

3. न्यायालय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यता ।

4. जहां आवेदक को इस प्रकार गिरफतार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उददेश्य से अभियोग लगाया गया हो।

यह विधिक सिद्धान्त है कि अग्रिम जमानत को विशेष परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप स्वीकार किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अभियुक्त की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से लिखाया गया है। वर्तमान में जो तथ्य प्रकाश में आये हैं उसके आलोक में अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अभियुक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त अक्षय गुप्ता पुत्र स्व0 मित्रसेन गुप्ता की ओर से मु०अ०सं० 12 सन् 2025 धारा –420,467,468,471,255,120बी भा0द0सं0 थाना सिविल लाईन्स जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 22.06.2026

(राकेश कुमार–पंचम)
प्रभारी–सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।

This is uncertified copy for information/ reference for authentic copy please to refer certified copy only.
Rajpal (P.A.)